न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 03/2019

1. रामकुमार पुत्र श्रीसदाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. नारायण
2. लालचन्द
3. ज्ञानसिंह

पि0 सुखराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

4. सचिव ग्राम पंचायत करनपुरा पंचायत समिति भादरा तहसील भादरा।
5. प्रशासनं एवं स्थापना समिति पंचायत समिति कार्यालय पंचायत समिति भादरा जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थीगण

निगरानी बखिलाफ निर्णय दिनांक 30.08.2018 प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति भादरा अपील स0 50/2016 अनवानी रामकुमार बनाम नारायण

उपस्थितिः– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता, अप्रार्थी

दिनांक : 20.07.2021

निर्णय

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

आवेदन/अपीलांट की तरफ से प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति कार्यालय पंचायत समिति भादरा हनुमानगढ़ के सम्मुख एक अपील स0 50/2016 अनवानी रामकुमार बनाम नारायण आदि इस आशय की प्रस्तुत हुई है कि अपीलांट व रेस्पा0 ग्राम करनपुरा के निवासी है तथा एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलांट/प्रार्थी ने अपने परिवार का सजरा खानदान दर्शाते हुए कथन किया कि सदाराम की कदीमी ग्राम करनपुरा की पुरानी आबादी में रिहायश चली आ रही है तथा गांव के बीच में लाल लकीर के अन्दर एक पुश्तैनी रिहायशी मकान पुरानी आबादी में स्थित है। जिसके आसा–पासा व नाप निम्न प्रकार से है उत्तर में रास्ता आम नाप 41 फुट, दक्षिण में कृष्ण नाई व रामकिशन का मकान व नाप 50 फुट, पूर्व में धन्नाराम सहू नाप 90 फुट व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पश्चिम में कृष्ण सहु व नाप 90 फुट तथा उक्त पुश्तैनी मकान में सदाराम के चारों लड़का का संयुक्त रूप से ब.हि.ब हक व हिस्सा है। सदाराम के चारों पुत्र इसी मकान में सदा से ही निवास करते आ रहे है। परिवार बड़ा होने के कारण दौलतराम नाई आबादी में मकान बनाकर रिहायश करने लगा तथा फुलसिंह ने दौलतराम से सौदा कर लिय कि दौलतराम अपना हिस्सा फुलसिंह को दे दे फुलसिंह उसके बदले अपनी नयी आबादी में प्लॉट दौलतराम को दे देगा तथा इस प्रकार से फुलसिंह का 1/2 हिस्सा इस पुश्तैनी मकान में हो गया तथा अपीलांट/प्रार्थी का इस पुश्तैनी मकान में 1/4 हिस्सा व रेस्पो0 जो कि सुखराम के वारिस है का 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप है तथा आज तक इसका कोई बंटवारा नही हुआ है। आज भी अपीलांट व रेस्पो0 संयुक्त रूप से उपयोग व उपभोग में ले रहे है। इस प्रकार से उक्त पुश्तैनी मकान का 1/2 हिस्सा अपीलांट व रेस्पो0 का अविभाजित संयुक्त मक़ान है तथा रेस्पो0 के ग्राम पंचायत करनपुरा से साजकर तथा फर्जकारी करके पुरानी तारीखों में दिनांक 10.03.1984 को बिना किसी पत्रावली व बिना संकल्प संख्या के पुश्तैनी एवं हिन्दु परिवार की संयुक्त सम्पति मकान का पटटा अकेले सुखराम के नाम से फर्जकारी करके बनवा लिया जबकि उक्त मकान में सदाराम के सभी वारिसों का बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है तथा ग्राम पंचायत ने पटटा बनाते समय सदाराम के वारिसान को कभी कोई सूचना नहीं दी ना ही कोई आपत्ति आमंत्रित की ना ही कोई संयुक्त व पुश्तैनी सम्पति बाबत कोई जॉच व रिपोर्ट ली जबकि तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत करनपुरा तहसील भादरा को भली भांति ज्ञान था कि सुखराम अकेला इस मकान का मालिक नहीं है तथा सदाराम के सभी वारिस इसे काम में ले रहे है। पुश्तैनी मकान काफी पुराना होने से जर्जर अवस्था में है था इस मकान में अब काफी सालों से कोई रिहायश नहीं है तथा रेस्पो0 ने नई आबादी में मकान बनाकर रिहायश कर रहे है। अपीलांट ने जब इस पुश्तैनी मकान के अपने आगे के हिस्से की मरम्मत कराने तथा बंटवारे के लिए कहा तो रेस्पो0 ने धमकी दी की ये मकान हमारा है तुम्हारा हक व हिस्सा नही है तथा इसी पर अपीलांट ने एक दावा सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ) भादरा में बंटवारा बाबत पेश किया तो रेस्पो0 ने अपने जवाब के साथ ये फर्जी पटटा सुखराम के नाम बना हुआ पेश किया तथा अपीलांट को उक्त फर्जी पटटे का ज्ञान होने पर अपीलांट ने न्यायालय से इस तथाकथित पटटे की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा ग्राम पंचायत करनपुरा से इस पटटे की पत्रावली की नकल के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पेश किया तो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रेस्पो0 स0 4 सचिव ग्राम पंचायत करनपुरा ने लिखित जवाब दिया कि ग्राम पंचायत करनपुरा द्वारा सुखराम पुत्र सदाराम जाति जाट निवासी करनपुरा को जारी पटटे का कोई रिकार्ड पंचायत के पास उपलब्ध नही है। अपीलांट का इस पुश्तैनी मकान में सदाराम का वारिस होने के कारण 1/4 हिस्सा है। इसलिए अपीलांट दिनांक 10.03.1984 को बनाये गये पटटे को निरस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है तथा अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दिनांक 10.03.1984 को ग्राम पंचायत करनपुरा तहसील भादरा पंचायत समिति भादरा द्वारा जारी पटटे को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें तथा उक्त अपील रेस्पो0 अनावेदकगण जवाब अपील इस आशय का पेश किया कि उक्त वर्णित भूखण्ड ग्राम करनपुरा की लाल लकीर के अन्दर है। अपीलांट आवेदन ने भूखण्ड का आसा–पासा व नाप गलत अंकित किया है इस स्थल पर उत्तरी दिशा में एक कमरा व दरवाजा तामिर किया हुआ है। जिसका दरवाजा गली में है। उक्त मकान में से सदाराम के चारों लड़को का संयुक्त रूप से ब.हि.ब. हक होने के चारों का इस मकान में दौलतराम का 1/4 हिस्सा, फुलाराम व दौलतराम का 1/2 हिस्सा का कथन गलत है। फुलाराम व रामकुमार का कोई हिस्सा व कब्जा नहीं है। अपीलांट रामकुमार ग्राम करनपुरा की नई आबादी में गत 50 वर्षो से बस स्टेण्ड से दक्षिण दिशा में मकान बनाकर निवास कर रहा है। अपीलांट का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अपीलांट को पटटा निरस्त करवाने का कानूनी अधिकार नहीं है अतः अपील अपीलांट खारीज फरवायी जावें तथा मातहत अदालत ने बिना कानूनी प्रकिया अपनाएं गलत आधारों पर रेस्पो अनावेदक का पटटा दिनांक 10.03.1984 बहाल रखें जाने का विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय दिनांक 30.08.2018 से अपीलांट प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है। जिससे आवेदक प्रार्थी निर्णय दिनांक 30.08.2018 अपास्त करवाने हेतु यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:–

1. निर्णय दिनांक 30.08.2018 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात रूहदाद मिसल है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पारित किया गय है तथा निर्णय दिनांक 30.08.2018 काबिल मन्सुखी है।
2. मातहत अदालत ने बिना किसी कानूनी प्रकिया अपनाए तथा बिना किसी सही विश्लेषण के कतई मनमाना व स्वेच्छाचारी व नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/4

रेस्पो0 अनावेदकगण ने ग्राम पंचायत से साजकर तथा फर्जकारी करके पुरानी दिनांक में 30.03.1984 को बिना किसी पत्रावली व बिना संकल्प संख्या के पुश्तैनी एवं हिन्दु परिवार की संयुक्त सम्पति मकान का पटटा अकेले सुखराम के नाम से बनवा लिया जबकि उक्त मकान मे सदाराम के सभी वारिसों का बराबर का हक व हिस्सा है। परन्तु मातहत अदालत ने नियम विरूद्ध पटटा दिनांक 10.03.1984 को बहाल मानकर कानूनी भूल की है तथा निर्णय दिनांक 30.08.2018 इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

4. आवेदक को मातहत अदालत ने जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है उसके बारें में कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अनावेदकगण नारायण वगैरा को नाजायज फायदा देने के उद्धेश्य से केवल राजनैतिक द्वेषता से वंशीभूत होकर निर्णय दिनांक 30.08.2018 पारित किया है जिसकी रूह से पटटा दिनांक 10.03.1984 ग्राम पंचायत बहाल माना है तथा उक्त निर्णय कानून के खिलाफ जाते हुए पारित किया गया है जो काबिल अपास्तनीय है।

5. निर्णय दिनांक 30.08.2018 बअदालत मातहत निर्णय की परिभाषा में नही आता है तथा ना मातहत अदालत ने अपना न्यायिक स्वविवेक काम में लिया है निर्णय इसी आधार पर काबिल मन्सुखी है।

6. निगरानी काबिल समाअत अदालत वाला व 5 रूपयें की कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

लिहाजा निगरानी आवेदक प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 30.08.2018 बअदालत मातहत अपास्त फरमाया जावें तथा पटटा दिनांक 10.03.1984 ग्राम पंचायत करनपुरा तहसील भादरा निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निगरानी मिमो के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट का इस पुश्तैनी मकान में सदाराम का वारिस होने के कारण 1/4 हिस्सा है। सदाराम के सभी वारिसों का बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है। अनावेदकगण ने ग्राम पंचायत से साजकर तथा फर्जकारी करके पुरानी दिनांक में 30.03.1984 को बिना किसी पत्रावली व बिना संकल्प संख्या के पुश्तैनी एवं हिन्दु परिवार की संयुक्त सम्पति मकान का पटटा अकेले सुखराम के नाम से बनवा लिया। अतः मातहत अदालत का निर्णय काबिल खारीजी के है। निगरानी स्वीकार फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/5

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि हम गत 20 वर्षो से निवास कर रहे है। पानी व बिजली के बिल हमारे पिता के नाम से वर्ष 1996 से जारी किये हुए है। प्रार्थी को हमारे पटटे की जानकार पहले से थी। हमारा पटटा विधिसम्मत जारी हुआ है। अतः निगरानी प्रार्थी अस्वीकार फरमावें।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम विकास अधिकारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.07.2018 के अनुसार अवगत करवाया गया है कि उक्त स्थल पर नारायण पुत्र सुखराम पक्का मकान बनाकर परिवार सहित लगभग 20 वर्षो से निवास कर रहा है। घर में पिता के नाम से बिजली व पानी का कनेक्शन किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत प्रतित होता है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज कि जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल मिसल रहें।

(डॉ. गंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)